रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी थ्र0 नि0 ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,थ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. स. .....240/2022..... दिनांक .....15/6/2022.....
2. (अ) अधिनियम थ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें.....7 .....
   (ब) अधिनियम .....भा0द0स0 1860.....धारायें.....120**बी**.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....289.....समय.....7.30 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–मंगलवार /14.06.2022/05.15 पी.एम.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–14.06.2022 समय.–03.45 पी.एम. .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – टाईप शुदा
5. घटनास्थल :– सीएनजी पम्प के पास रीको रोड भरतपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –उत्तर , दूरी करीब 03 किमी.....
   (ब) पता – .....बीट सख्या .....जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री जीतेन्द्र सिंह**
   (ब) पिता /पति का नाम श्री जगन प्रसाद जाति जाट .....(स) जन्म तिथि /वर्ष 52 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... ।
   (ल) पता....ग्राम –डी 118 रणजीत नगर भरतपुर पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

   1– धनराज पुत्र श्री स्व. श्री राजीराम जाति कुमावत उम्र 48 साल निवासी एस–1, अमृतकुंज, मुरलीपुरा पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर हाल निवासी किराये का मकान श्री रविशर्मा ब्लॉक बी, सूर्यनगर, अलवर हाल अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय एन्टी एवीजन विंग अलवर।

   2– श्री विनय पुत्र श्री विजयपाल उम्र 32 जाति यादव निवासी ग्राम जखराना पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय एन्टी एवीजन विंग अलवर।

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
   .....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   .....4,00,000/–रू0 रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....4,00,000/–रू0 रिश्वत राशि .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर। विषय– कार्यवाही करने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं जीतेन्द्र पुत्र जगन प्रसाद जाति जाट निवासी डी–118 रणजीत नगर भरतपुर का रहने वाला हूं तथा मै शिव इन्ड्रस्टीज एण्ड ऑईल मिल औद्यौगिक क्षेत्र भरतपुर का मालिक हूं आज दिनांक 14.06.2022 को दिन में करीबन 12–01 बजे की बात है, मेरे बेटे राहुल ने मुझे मोबाईल पर कॉल कर बताया कि हमारी आईल मिल पर सीजीएसटी वाले आये हैं आप आ जाओ मै उस समय अपने फार्म हाउस पर था। इसके बाद मै रवाना होकर अपनी ऑईल मिल रिको औद्यौगिक एरिया पर पहुंचा तो वहां

पर दो अधिकारी ऑफिस के अन्दर बैठे हुए थे उन्होने मुझे अपना एक एक कर के परिचय देते हुए अपना नाम व पद बताया और कैप लगाये हुए व्यक्ति ने अपना नाम धनराज कुमावत अधीक्षक सीजीएसटी अलवर व पास बैठ हुए व्यक्ति ने अपना नाम विनय यादव निरीक्षक सीजीएसटी अलवर होना बताया मैने उनसे आने के संबंध में पूछा तो उन्होने अपने पास मौजूद ब्रीफकेस में से एक फाईल निकाल कर मुझे बताया कि आपकी ऑइल मिल का 09 करोड रूपये का फर्जी स्टॉक है और मौके पर माल मौजूद नहीं है यह कह कर मुझे धमकाया कि 10 लाख रूपये की तुरन्त व्यवस्था कर दो नहीं तो आप को केस बना कर आपको गिरफ्तार कर लेगें। मैने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे कागजात चैक करलो तो उन्होने कहा कि कागजात सही हैं लेकिन कार्यवाही से बचने के लिए आपको रूपये देने ही होगें। मेरे और निवेदन करने पर दोनों अधिकारी चार लाख रूपये रिश्वत लेने पर राजी हो गये मै उनको चार लाख रूपये रिश्वत नहीं देना चाहता था रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकडवाना चाहता था। लेकिन समय का अभाव होने व मौके पर दोनों अधिकारी मौजूद होने के कारण मैने सूचना आपके रीडर श्री हरभान सिंह को जरिये मोबाईल दी थी और उन्होने मुझै बताया कि आप नोटों की गड्डियों के प्रथम नोटों के नम्बर बोल कर नोट करा दो इसके बाद मैने 500–500 सौ रूपये के आठ गड्डियों के प्रथम नोटों के नम्बर पृथक –पृथक बोल कर नोट करा दिये। इसके बाद दिशा निर्देश आपसे प्राप्त होने पर मैने चार लाख रूपये मैने मेरी फर्म के पीले रंग के बैग में रख कर दे दिये और आपको सूचना दे दी जिस पर आप द्वारा इनकी गाडी को रूकवा कर चैक किया तो मेरे से रिश्वत में लिये हुए चार लाख रूपये दोनों के पास गाडी में मिल गये इनकी रिश्वत लेने संबंधी सीसीटीवी विडियो फुटेज मेरे पास उपलब्ध है जिनको मै पृथक से उपलब्ध करावा दुंगा कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी जीतेन्द्र सिंह, जीतेन्द्र सिंह पुत्र जगन प्रसाद जाति जाट निवासी डी–118 रणजीत नगर भरतपुर। एसडी महेश मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी एसयू भरतपुर 14.06.2022, एसडी संजय अग्निहोत्री 14.06.2022, एसडी दीपक 14.06.2022।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 14.06.2022 को समय 03.45 पी .एम. पर श्री हरभान सिह कानि0 ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि अभी अभी मेरे पास परिवादी श्री जीतेन्द्र सिंह का कॉल आया है जिसने बताया है कि मेरे पास समय का अभाव है और सीजीएसटी अलवर के अधिकारी रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेरी ऑईल मिल पर बैठे हुए हैं जो ऑइल मिल पर 09 करोड रूपये का फर्जी स्टॉक बताकर , व केस बनाने की धमकी देकर 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं और सीजीएसटी के अधिकारी मुझसे चार लाख रूपये रिश्वत लेकर जाने पर सहमत हो गये है। मै कार्यवाही के लिये प्रार्थना पत्र बाद में पेश कर दुंगा। मै इनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं। इस श्री हरभान सिंह कानि0 को समझाईस की गई कि आप परिवादी से सम्पर्क में रह कर उससे सीजीएसटी के अधिकारियों को कुछ समय व्यस्त रखने हेतु कहें इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता है तत्पश्चात समय 03.50 पीएम पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय हाजा के श्री गम्भीर सिंह कानि0 475 को सचिव नगर निगम भरतपुर के पदनाम से तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह को लाने हेतु कार्यालय नगर विकास न्यास भरतपुर रवाना करने पर समय 04.10 पीएम पर मय दो स्वतंत्र गवाह के उपस्थित कार्यालय आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह आये दोनों स्वतंत्र गवाहान से उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम संजय अग्निहोत्री पुत्र श्री राजवीर शर्मा उम्र 36 साल जाति ब्राहम्ण निवासी मकान नं0 97 विमल कुंज भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट हाल कनिष्ठ अभियंता नगर निगम भरतपुर व दीपक पुत्र श्री बंगाली, जाति

वाल्मिकी उम्र 45 साल निवासी पुरानी कचहरी के पीछे भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट हाल कनिष्ठ सहायक नगर निगम भरतपुर होना बताया जिनको होने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 04.15 पीएम पर परिवादी श्री जीतेन्द्र सिंह द्वारा जरिये मोबाईल दिशा निर्देश प्राप्त होने पर आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली चार लाख रूपये की रिश्वत राशि के पांच पांच सौ रूपये की आठ नोटों की गड्डियों के प्रथम–प्रथम नोटों के नम्बर अंकित करवाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम संख्या	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 CA 114448
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 TS 593908
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 LN 572270
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 BD 393879
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 RW 447341
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 KR 956131
7	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 TK 160861
8	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 PS 726618

उक्त नम्बरी नोटों का विवरण फर्द में अंकित किया जाकर परिवादी को कार्यवाही के संबंध में मुनासिब हिदायत की गई। फर्द इत्तला नम्बरी नोट संबंधी पृथक से मुर्तिव की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.35 पीएम श्री हरभान सिंह कानि0 591, श्री विनोद सिंह कानि. 114, श्री दीपक कुमार कानि0 75, उमांशकर कानि0 82 व परसराम कानि0 203 को श्री विनोद सिंह कानि0 की निजी कार से रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा मय हमराही जाप्ता रितेश कुमार कानि. 64, गम्भीर सिंह कानि. 475 , गोकुलेश कानि0 454, पुष्पेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक, मय स्वतंत्र गवाहान मय प्रिन्टर लेपटॉप मय सरकारी टवेरा गाडी मय चालक श्री मनोज कुमार के कार्यवाही के लिये रीको रोड भरतपुर रवाना होकर समय 04.55 पीएम पर सीएनजी पम्प के पास रीको रोड भरतपुर पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा करवा कर आरोपी के आने का इन्तजार है मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क में हूं। तत्पश्चात समय 05.15 पीएम पर बराखुर– जघीना रोड की तरफ से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर गाडी जिसके रजिस्ट्रेशन नं0 आर जे 02 टी ए 3356 जिसकी आगे की नम्बर प्लेट के उपर भारत सरकार लिखा हुआ आती हुई दिखाई दी जिसको जाप्ता की मदद से हाथ का ईशारा देकर रोकने का प्रयास किया तो गाडी नहीं रूकी जिसका पीछा करते हुए हॉस्पीटल की तरफ सीएनजी पम्प के पास स्थित पुलिया पर गाडी को आगे गाडी लगाकर रोका गया तो गाडी में चार व्यक्ति बैठे नजर आये गाडी स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग की है जिसके रजिस्ट्रेशन नं0 आर जे 02 टी ए 3356 है गाडी पर पीछे डिग्गी पर एवं आगे नम्बर प्लेट के उपर लाल कलर में भारत सरकार लिखा हुआ है। उक्त गाडी परिवादी के बताये अनुसार हुलिया की है जिसको चैक किया जाना आवश्यक है अतः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गाडी में बैठे हुए व्यक्तियों को ईशारा कर बाहर आने हेतु कहा तो आगे सीट पर बैठे हुए वर्दीधारी हवलदार एवं चालक गाडी से नीचे उतरे जिनसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते नाम पता पूछा तो वर्दीधारी हवलदार ने अपना नाम विजय सिंह पुत्र श्री रामभरोसी जाति धाकड उम्र 52 साल निवासी माचाडी थाना राजगढ जिला अलवर हाल हैड हवलदार केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय अलवर होना बताया व चालक ने अपना नाम हुकम सिंह पुत्र केडाराम जाति जाट उम्र 28 साल निवासी टेहडका थाना ततारपुर चौराहा जिला अलवर हाल चालक स्विफ्ट डिजायर कार पंजीयन नं0 आर जे 02 टी ए 3356 होना बताया। जिनसे गाडी में पीछे बैठे हुए व्यक्तियों के संबंध में पूछा तो हवलदार श्री विजय सिंह ने बताया कि गाडी में पीछे सीजीएसटी अलवर के अधिकारी बैठे

हुए हैं जिनमें एक अधीक्षक श्री धनराज व एक निरीक्षक श्री विनय यादव है। इस पर पीछे बैठे हुए दोनों व्यक्तियों से गाडी की पीछे की खिडकियों के कांच नीचे उतारवा कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमाराहीयान का परिचय देते हुए गाडी में बैठे दोनों व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा तो कैप लगाये हुए व्यक्ति ने अपना नाम धनराज पुत्र श्री स्व. श्री राजीराम जाति कुमावत उम्र 48 साल निवासी एस–1, अमृतकुंज, मुरलीपुरा पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर हाल निवासी किराये का मकान श्री रविशर्मा ब्लॉक बी, सूर्यनगर, अलवर हाल अधीक्षक, कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अलवर व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम विनय पुत्र श्री विजयपाल उम्र 32 जाति यादव निवासी ग्राम जखराना पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल निरीक्षक कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अलवर होना बताया गाडी में दोनों व्यक्तियों के पैर रखने के स्थान पर परिवादी के बताये अनुसार हुलिया का एक पीले रंग का थैला दिखाई दिया जिसके संबंध में दोनों बैठे हुए सीजीएसटी के अधिकारियों से पूछा तो कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया इस पर दोनों अधिकारियों से गाडी से नीचे उतरने की कहने पर दोनो अधिकारी गाडी से नीचे उतर गये स्वतंत्र गवाह श्री संजय कुमार अग्निहोत्री कनिष्ठ अभियंता से गाडी में रखे हुए थैला को उठवा कर चैक करवाया गया तो थैला के अन्दर अखबार में लिपटे हुए भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये की आठ गड्डियां दिखाई दी इसी दौरान परिवादी श्री जीतेन्द्र सिह मौके पर उपस्थित आया चूंकि मौके पर काफी भीड एकत्रित हो चुकी है एवं रास्ता अवरूद्ध हो रहा है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दोनों अधिकारियों को हमराह लेकर स्वतंत्र गवाहान संजय अग्निहोत्री को रूपये रखे हुए थैले को सुरक्षित रखने हेतु सभलाया जाकर मय हमराहीयान व आरोपीगण की गाडी मय चालक , हवलदार एवं परिवादी श्री जीतेन्द्र सिह के सरकारी गाडी व प्राईवेट गाडियों से रवाना होकर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचे। कार्यालय में परिवादी श्री जीतेन्द्र सिंह पुत्र जगन प्रसाद जाति जाट निवासी डी 118 रणजीत नगर भरतपुर ने एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये पेश किया उक्त प्रार्थना पर परिवादी श्री जीतेन्द्र सिंह से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि मैं जीतेन्द्र पुत्र जगन प्रसाद जाति जाट निवासी डी–118 रणजीत नगर भरतपुर का रहने वाला हूं तथा मै शिव इन्ड्रस्टीज एण्ड ऑईल मिल औद्यौगिक क्षेत्र भरतपुर का मालिक हूं आज दिनांक 14.06.2022 को दिन में करीबन 12–01 बजे की बात है, मेरे बेटे राहुल ने मुझे मोबाईल पर कॉल कर बताया कि हमारी आईल मिल पर सीजीएसटी वाले आये हैं आप आ जाओ मै उस समय अपने फार्म हाउस पर था। इसके बाद मै रवाना होकर अपनी ऑईल मिल रिको औद्यौगिक एरिया पर पहुंचा तो वहां पर दो अधिकारी ऑफिस के अन्दर बैठे हुए थे उन्होने मुझे अपना एक एक कर के परिचय देते हुए अपना नाम व पद बताया और कैप लगाये हुए व्यक्ति ने अपना नाम धनराज कुमावत अधीक्षक सीजीएसटी अलवर व पास बैठ हुए व्यक्ति ने अपना नाम विनय यादव निरीक्षक सीजीएसटी अलवर होना बताया मैने उनसे आने के संबंध में पूछा तो उन्होने अपने पास मौजूद ब्रीफकेस में से एक फाईल निकाल कर मुझे बताया कि आपकी ऑइल मिल का 09 करोड रूपये का फर्जी स्टॉक है और मौके पर माल मौजूद नहीं है यह कह कर मुझे धमकाया कि 10 लाख रूपये की तुरन्त व्यवस्था कर दो नहीं तो आप को केस बना कर आपको गिरफ्तार कर लेगें। मैने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे कागजात चैक करलो तो उन्होने कहा कि कागजात सही हैं लेकिन कार्यवाही से बचने के लिए आपको रूपये देने ही होगें। मेरे और निवेदन करने पर दोनों अधिकारी चार लाख रूपये रिश्वत लेने पर राजी हो गये मै उनको चार लाख रूपये रिश्वत नहीं देना चाहता था रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकडवाना चाहता था। लेकिन समय का अभाव होने व मौके पर दोनों अधिकारी मौजूद होने के कारण मैने सूचना आपके रीडर श्री हरभान सिंह को जरिये मोबाईल दी थी और उन्होने मुझै बताया कि आप नोटों की गड्डियों के प्रथम नोटों के नम्बर बोल कर नोट करा दो इसके बाद मैने 500–500 सौ रूपये के आठ गड्डियों के प्रथम नोटों के नम्बर पृथक –पृथक बोल कर नोट करा दिये। इसके बाद दिशा निर्देश आपसे प्राप्त होने पर मैने चार लाख रूपये मैने मेरी फर्म के पीले रंग के बैग में रख कर दे दिये और आपको सूचना दे दी जिस पर आप द्वारा इनकी गाडी को रूकवा कर चैक किया तो मेरे से रिश्वत में लिये हुए चार लाख रूपये दोनों के पास गाडी में मिल गये इनकी

रिश्वत लेने संबंधी सीसीटीवी विडियो फुटेज मेरे पास उपलब्ध है जिनको मै पृथक से उपलब्ध करावा दुंगा। प्रार्थना पत्र को बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात आरोपी धनराज कुमावत अधीक्षक व विनय कुमार निरीक्षक से परिवादी से चार लाख रूपये लेने के संबधं में पूछा तो धनराज कुमावत ने बताया कि मै केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय एन्टी एवीजन विंग अलवर में माह सितम्बर 2021 से अधीक्षक के पद पदस्थापित हूं। आज मै व हमारी विंग के निरीक्षक श्री विनय कुमार यादव व हैड हवलदार श्री विजय धाकड व चालक के साथ स्विफ्ट डिजायर गाडी जो हमारे विभाग में अनुबंध पर लगी हुई है, से शिव इन्डस्ट्रीज एण्ड ऑईल मिल पर सर्वे एवं बिलों के सत्यापन हेतु रीको औद्यौगिक क्षेत्र भरतपुर आये हुए थे। जहां हमने जीएसटी के 2ए की वर्ष 2017–18 से 2020–21 व आईटीआर लेजर वर्ष 2017–18 से 2020–21 एवं उनके रजिस्ट्रेशन में लगाये गलत रेन्ट एग्रीमेंट ईत्यादि की जांच की तथा पार्टी ने अन्य दस्तावेज देने के लिये पत्र प्रस्तुत किया। मैने व मेरी टीम के किसी भी सदस्य ने मिल मालिक से कोई रिश्वत की मांग नहीं की थी मिल मालिक ने चलते समय एक थैला निरीक्षक विनय को दिया था निरीक्षक विनय कुमार ने समझा कि थैले के अन्दर दस्तावेज रखे हुए हैं तो हम उन दस्तावेजों को लेकर गाडी में बैठ गये थे कुछ समय बाद आपने हमको रोक लिया था। थैले के अन्दर दस्तावेज के स्थान पर पैसे कहां से आये हमे पता नहीं है। इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है पुनः पूछताछ की गई तो श्री धनराज कुमावत अधीक्षक ने अपने पूर्व कथनों की पुष्टि की और विनय कुमार निरीक्षक से पूछा तो बताया कि मै केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय एन्टी एवीजन विंग अलवर में माह फरवरी 2022 से निरीक्षक के पद पदस्थापित हूं। आज मै व हमारी विंग के अधीक्षक श्री धनराज कुमावत व हैड हवलदार श्री विजय धाकड व चालक के साथ स्विफ्ट डिजायर गाडी जो हमारे विभाग में अनुबंध पर लगी हुई है, से शिव इन्डस्ट्रीज एण्ड ऑईल मिल पर सर्वे एवं बिलों के सत्यापन हेतु रीको औद्यौगिक क्षेत्र भरतपुर आये हुए थे। जहां हमने जीएसटी के 2ए की वर्ष 2017–18 से 2020–21 व आईटीआर लेजर वर्ष 2017–18 से 2020–21 एवं उनके रजिस्ट्रेशन में लगाये गलत रेन्ट एग्रीमेंट ईत्यादि की जांच की तथा पार्टी ने अन्य दस्तावेज देने के लिये पत्र प्रस्तुत किया। मैने व मेरे अधिकारी श्री धनराज कुमावत अधीक्षक तथा टीम के किसी भी सदस्य ने मिल मालिक से कोई रिश्वत की मांग नहीं की थी। जांच पूर्ण होने के उपरान्त हम मिल से बाहर निकलने लगे तो मेरे अधीक्षक श्री धनराज कुमावत ने टेबल के पास रखे पीले रंग थैले की तरफ ईशारा करके बताया कि इस थैले को भी साथ में लेकर चलना है थैले में मिल मालिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज हैं जो कि आगे की जांच के लिये रखे गये हैं। हम उन दस्तावेजों को लेकर गाडी में बैठ गये थे कुछ समय बाद आपने हमको रोक लिया था। थैले के अन्दर दस्तावेज के स्थान पर पैसे कहां से आये मुझे पता नहीं है। इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है पुनः पूछताछ की गई तो श्री विनय कुमार निरीक्षक ने अपने पूर्व कथनों की पुष्टि की इसपर परिवादी श्री जीतेन्द्र सिंह से पूछा गया तो परिवादी ने दोनों आरोपियों के कथन का खण्डन करते हुए कहा .कि ये दोनों अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। इन्होने मेरी ऑइल मिल पर 09 करोड रूपये का फर्जी स्टॉक बताकर , मुझको धमका कर 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग की रिश्वत नहीं देने पर मेरे विरूद्ध केस बनाकर गिरफ्तार करने की कहा इस पर मैने अपनी ऑइल मिल के कागजात पेश किये जिस पर उक्त दोनों अधिकारीगण मेरे निवेदन करने पर चार लाख रूपये लेने पर सहमत हो गये । समय का अभाव होने व मौके पर दोनों अधिकारियों के मौजूद होने के कारण मेने उक्त घटना की सूचना जरिये मोबाईल आपके कार्यालय स्टाफ को दी जिस पर आपके दिशा निर्देशानुसार मैने आरोपगण को चार लाख रूपये को दे दिये मेरी सूचना के आधार पर उक्त अधिकारीगण की गाडी स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेनं0 नं0 आर जे 02 टी ए 3356 को सीएनजी पम्प रीको रोड भरतपुर के पास रूकवाकर चैक किया गया तो चार लाख रूपये अधिकारीगण के पास से गाडी में मिले थे। तत्पश्चात स्विफ्ट गाडी के चालक हुकम सिंह व हैड हवलदार विजय सिंह से पूछताछ की गई तो उक्त दोनों ने बताया कि हम दोनों अधिकारियों के साथ भरतपुर आये थे जहां ऑईल मिल पर उक्त दोनों अधिकारी ने जांच की इस दौरान हम गाडी के पास ही रहे थे। इन दोनो ने किस बात के पैसे लिये है हमारी जानकारी में नहीं और ना ही हमे इस संबंध में पता है आपके गाडी रोकने के

उपरान्त आप द्वारा तलाशी लेने पर पीले रंग के थैले में दोनों अधिकारियों के पास पांच पांच सौ की गड्डियों में रूपये मिले थे। इस अग्रिम हेतु स्वतंत्र गवाह श्री संजय अग्निहोत्री के पास सुरक्षित रखे हुए नोटों को गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये की आठ गड्डियों के कुल 4,00,000/–रूपये होना पाये गये परिवादी द्वारा पूर्व में जरिये मोबाईल नोट कराये गये पांच–पांच सौ रूपये की आठों गड्डियों के प्रथम नोटों के नम्बरों का मिलान उक्त गड्डियों के प्रथम नोटों से करवाया गया तो नम्बर हूबहू पाये गये। नम्बरी नोटों को पांच पांच सौ रूपये की गड्डियों से निकाल कर उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा शेष नोट कुल 3,96,000/– रूपये को पीले रंग के थैले में ही रखवा कर एक लिफाफे में रख कर चिट चस्पा किया गया। आरोपीगण से परिवादी से संबंधित पत्रावली के संबंध में पूछा तो आरोपीगण ने बताया कि उक्त पत्रावली गाडी में रखी हुई है अतः उक्त पत्रावली को जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपीगण धनराज कुमावत अधीक्षक एवं विनय कुमार यादव निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (सीजीएसटी) आयुक्तलय एन्टी एवीजन विंग अलवर का उक्त कृत्य धारा 7 पीसी संशोधित अधिनियम 2018 व 120बी आईपीसी में तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है अतः उक्त आरोपीगण को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। दौराने कार्यवाही परिवादी द्वारा पेश की गए प्रार्थना पत्र को दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढने को दिया गया दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर किये। तथा कार्यवाही के दौरान जप्त व कब्जे शुदा सील्ड व अनसील्ड रिश्वत राशि 4,00,000/–रूपये को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री रीतराम हैड कानि0 45 को सुपुर्द की जाकर जमा मालखाना करवाई गई। फर्द आकस्मिक चैकिंग स्विफ्ट डिजायर कार रजिस्ट्रेशन नं0 आर जे 02 टी ए 3356 पृथक से मुर्तिव की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.15 पीएम दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री जीतेन्द्र सिंह की ऑईल मिल से संबंधित पत्रावली के बारे में आरोपीगण से पूछने पर आरोपीगण धनराज कुमावत अधीक्षक व विनय कुमार निरीक्षक ने बताया कि जीतेन्द्र सिह की ऑईल मिल से संबंधित पत्रावली गाडी में रखे हुए ब्रीफकेस में रखी हुई है आरोपी गण ने आगे आगे चलकर गाडी में रखे हुए ब्रीफकेस में से एक पत्रावली ऑईल मिल से संबंधित निकाल कर पेश करने पर उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज संख्या 01 लगायत 29 है। पत्रावली के प्रथम पृष्ठ पर परिवादी की ऑईल मिल से संबंधित विवरण अंकित है एवं अंतिम पृष्ठ पर फार्म जीएसटी आईएनएस –01 का विवरण अंकित है पत्रावली के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर पत्रावली को कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत जप्त किया जाकर कब्जे एसीबी लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द जप्ती रिकॉर्ड पृथक से मुर्तिव कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.50 पीएम दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री धनराज पुत्र श्री स्व. श्री राजीराम जाति कुमावत उम्र 48 साल निवासी एस–1, अमृतकुंज, मुरलीपुरा पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर हाल निवासी किराये का मकान श्री रविशर्मा ब्लॉक बी, सूर्यनगर, अलवर हाल अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय एन्टी एवीजन विंग अलवर को परिवादी जीतेन्द्र सिंह से उसकी रीको औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर स्थित ऑइल मिल पर 09 करोड रूपये का फर्जी स्टॉक बताकर , परिवादी को धमका कर 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग करना व कार्यवाही नहीं करने की एवज में 4,00,000/–रूपये रिश्वत लेकर जाते हुऐ पकडने जाने का जुर्म जैर दफा धारा 7 पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिव कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.20 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री विनय पुत्र श्री विजयपाल उम्र 32 जाति यादव निवासी ग्राम जखराना पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय एन्टी एवीजन विंग अलवर को परिवादी जीतेन्द्र सिंह से उसकी रीको औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर स्थित ऑइल मिल पर 09 करोड रूपये का फर्जी स्टॉक बताकर , परिवादी को धमका कर 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग करना व कार्यवाही नहीं करने की एवज में

4,00,000/–रूपये रिश्वत लेकर जाते हुऐ पकडने जाने का जुर्म जैर दफा धारा 7 पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिव कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.50 पीएम श्री परसराम कानि0 , उमाशंकर कानि0 , रितेश कुमार कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण धनराज कुमावत अधीक्षक एवं विनय कुमार निरीक्षक मय सरकारी गाडी टवेरा मय चालक मनोज कुमार के आरोपीगण को बन्द हवालात कराने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना मथुरागेट के नाम तहरीर जारी कर रवाना करने पर समय 11.20 पीएम पर बन्द हवालात करा कर वापस आये तत्पश्चात समय 11. 30 पीएम पर रात्री अधिक हो जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती है अतः परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 15.06.2022 को सुबह 08.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर बाद हिदायत रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 15.06.2022 को समय 08.00 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये जिन्हे बाद हिदायत कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 08.10 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा मय श्री रितेश कुमार कानि0, श्री दीपक कुमार कानि0, श्री गम्भीर सिह कानि0 मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय सरकारी गाडी मय चालक मनोज कुमार के वास्ते लेने विडियो फुटेज सीसीटीवी कैमरा परिवादी की ऑईल मिल रीको रोड भरतपुर एवं निरीक्षण घटना स्थल हेतु रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 08.30 एएम पर शिव इन्डस्ट्रीज एण्ड ऑईल मिल रीको रोड भरतपुर पहुंचा। जहां ऑईल में मिल में लगे सीसीटीवी कैमरो की कल दिनांक 14.06.2022 को रिकॉर्ड हुई कार्यवाही से संबंधित विडियो फुटेज को एक पेन ड्राईव में लिया जाकर विडियो फुटेज का अवलोकन किया गया तो सीसीटीवी फुटेज होना पाई गई पेन ड्राईव की तीन और पेन ड्राईव तैयार करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर मार्क ''ए'' अंकित किया गया। मूल व दो मुल्जिम पेन ड्राईव को सील्ड मोहर किया गया व एक पेन ड्राईव को फाईव पर खुला रखा गया। फर्द जप्ती सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राईव पृथक से मुर्तिव की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.30 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय सील्ड व अनसील्ड पेन ड्राईव कुल चार मय सरकारी गाडी के ऑईल मिल से रीको रोड स्थित घटना स्थल निरीक्षण के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 11.15 एएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री जीतेन्द्र सिंह की निशादेही पर घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। बाद कार्यवाही नक्शा मौका मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के एसीबी कार्यालय भरतपुर के लिये रवाना होकर समय 11.50 एएम पर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचा। मूल व दो मुलजिम पेन ड्राईव को श्री रीतराम हैड कानि0 45 के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 12.15 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 09 को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री दीपक कनिष्ठ सहायक को दी गई। बाद कार्यवाही परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया।

अब तक की गई कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी धनराज अधीक्षक कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (सीजीएसटी) आयुक्तालय एन्टी एवीजन विंग अलवर एवं विनय निरीक्षक कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (सीजीएसटी) आयुक्तालय एन्टी एवीजन विंग अलवर द्वारा परिवादी से उसकी रीको औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर स्थित ऑइल मिल पर 09 करोड रूपये का फर्जी स्टॉक बताकर , परिवादी को धमका कर 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग की रिश्वत नहीं देने पर परिवादी के विरूद्ध केस बनाकर गिरफ्तार करने की कहा इस पर परिवादी ने अपनी ऑइल मिल के कागजात पेश किये जिस पर उक्त दोनों आरोपीगणों द्वारा परिवादी के निवेदन करने पर चार लाख रूपये लेने पर सहमत हो गये । समय का अभाव होने व मौके पर दोनों अधिकारियों के मौजूद होने के कारण परिवादी ने उक्त घटना की सूचना जरिये मोबाईल कार्यालय स्टाफ को दी जिस पर परिवादी को

आवश्यक हिदायत दी गई व परिवादी द्वारा चार लाख रूपये आरोपीगण को दे दिये परिवादी की सूचना के आधार पर उक्त अधिकारीगण की गाडी स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेनं0 नं0 आर जे 02 टी ए 3356 को सीएनजी पम्प रीको रोड भरतपुर के पास रूकवाकर चैक किया गया तो चार लाख रूपये आरोपीगण के पास से गाडी में मिले मौके पर परिवादी के उपस्थित होने पर व कार्यवाही करने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर आरोपीगण से चार लाख रूपये रिश्वत राशि को गाडी से बरामद होने का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7 पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्तगण धनराज पुत्र श्री स्व. श्री राजीराम जाति कुमावत उम्र 48 साल निवासी एस–1, अमृतकुंज, मुरलीपुरा पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर हाल निवासी किराये का मकान श्री रविशर्मा ब्लॉक बी, सूर्यनगर, अलवर हाल अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय एन्टी एवीजन विंग अलवर व श्री विनय पुत्र श्री विजयपाल उम्र 32 जाति यादव निवासी ग्राम जखराना पुलिस थाना बहरोड जिला अलवर हाल निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय एन्टी एवीजन विंग अलवर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित की जावेगी।

(महेश मीणा)
अति.पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, एसयू भरतपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एस.यू.), भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री धनराज, अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, एन्टी एवीजन विंग, अलवर एवं 2. श्री विनय, निरीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, आयुक्तालय, एन्टी एवीजन विंग, अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 240/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2113-18 दिनांक 15.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर।
4. आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर।
5. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर।

15.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।